रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

28 11 83

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 15, 1983/भाद्र 24, 1905
No. 32] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 15, 1983/BHADRA 24, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1983

का० नि० आ० 74(ई) — सशस्त्र सेना (आपात ड्यूटिया) अधिनियम, 1947 (1947 का 15वा) की धारा 2 की उपधारा (1) के परन्तुक मे प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, रक्षा मत्रालय की 12 अगस्त, 1983 की अधिसूचना का० नि० आ० स० 69-ई के क्रम मे केन्द्र सरकार एतद्द्वारा असम राज्य मे दूरभाष सेवाओ के सचालन और उन्हे बनाए रखने से सबधित सभी सेवाओ को समाज के लिए 16 सितम्बर, 1983 से एक महीने की और अवधि, के लिए अति महत्वपूर्ण सेवाए घोषित करती है।

[फा०|स० 2 (112)/80/डी (जी एस-1)]

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 15th September, 1983

S.R.O. 74(E).—In exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (1) of section 2 of the Armed Forces (Emergency Duties) Act, 1947 (15 of 1947) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Defence S.R.O. No. 69-E dated the 12th August 1983, the Central Government hereby declares all services connected with the operation and maintenance of telephone services in the State of Assam to be services of vital importance to the community for a further period of one month with effect from 16th September, 1983.

[F. No. 2(112)/80/D(G.S.-I)]

का० नि० आ० 75(ई):—सशस्त्र सेना (आपात ड्यूटियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 15वां) की धारा 2 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की दिनांक 12 अगस्त, 1983 की अधिसूचना का० नि० आ० सं० 70-ई के अनुक्रम में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा असम राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और संभरण तथा पाइप लाइनों और तेल प्रतिष्ठानों को चलाने और उनके अनुरक्षण से संबंधित प्रत्येक सेवा को 18 सितम्बर 1983 से एक महीने की और अवधि के लिए समाज के लिए अत्याधिक महत्व की सेवा घोषित करती है।

[फा० सं० 2 (35)/80/डी० (जी०एस-1)]
के० श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव

S.R.O. 75(E).—In exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (1) of section 2 of the Armed Forces (Emergency Duties) Act, 1947 (15 of 1947) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Defence S.R.O. No. 70-E dated the 12th August, 1983, the Central Government hereby declares every service forming part of, or connected with, the production and supply of petroleum products and running and maintenance of oil installations and pipelines in Assam to be a service of vital importance to the community for a further period of one month with effect from 18th September, 1983.

[F. No. 2(35)|80|(GS-I)]
K. SRINIVASAN, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983